दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 14 मार्च 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 164

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रवासियों को ले जा रही नाव पलटने से बड़ा हादसा, 22 लोगों की मौत

अंटानानारिवो। दक्षिण अफ्रीका में मेडागास्कर के समुद्री तट पर प्रवासियों को ले जा रही एक नाव पलटने से कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। मेडागास्कर के बंदरगाह प्राधिकरण ने यह जानकारी दी। मैरीटाइम एंड रिवर पोर्ट एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मेडागास्कर के समुद्री तट पर नाव के पलटने के समय उस पर 47 लोग सवार थे। अधिकारियों के अनुसार 23 लोगों को बचा लिया गया जबकि दो लापता लोगों की तलाश में खोजी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाव फ्रांस के मयोटे द्वीप जा रही थी।

रेड बूल एफ-1 सोरन इवेंट में 2 करोड़ रुपए की कार में लगी आग

मुंबई(आरएनएस)। यहां रविवार को एक प्रतिष्ठित प्रचार कार्यक्रम के दौरान करीब 2 करोड़ रुपये कीमत की काले रंग की निसान जीटीआर कार में आग लग गई। यह घटना बांद्रा बैंडस्टैंड के पास आयोजित रेड बुल एफ1 शोरन में हुई। वाहन में आग लगने के दृश्य और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बावजूद बीएमसी आपदा नियंत्रण ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कार में लगी आग को जल्दी ही बुझा दिया गया और किसी के हताहत होने या आग लगने के कारणों की कोई रिपोर्ट नहीं है।

जलती भट्टी छोड़ चला गया मालिक, तिरपाल ने पकड़ी आग, दुकान जलकर खाक

कोटा (आरएनएस)। बीती देर रात कोटा के स्टेशन इलाके में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर निगम की 2 दमकल ने मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों ने बताय कि इस दुकान में लकड़ी से जलने वाली खाने की भट्टियां थी। रात को मालिक जलती भट्टी छोडक़र दुकान बंद करके चला गया। तिरपाल ने आग की ने आग पकड़ ली और उससे दुकान जल गई। सहायक अग्निशमन अधिकारी कोटा दक्षिण अब्दुल मतीन मंसूरी ने बताया कि घटना रात लगभग आठ बजे के आसपास की है। शमशान रोड भूरे बाबा की दरगह के पास नाले पर एक थड़ी लगी हुई है। इस थड़ी में ऑर्डर से खाना बनता है। थड़ी में जो भट्टियों लगी हैं उनमें जलाने के लिए लकडिय़ां काम में लाई जाती है। रात को दुकान मालिक मंसूर अली दुकान बंद करके गया था। भट्टी चालू थी उसने तिरपाल को अपनी जद में ले लिया और वहां पड़ी लकडिय़ों ने आग पकड़ ली। सूचना पर निगम की 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा सामान जल गया और कोई जनहानि नहीं हुई है।

एडवोकेट प्रोटेक्शन कानून : अब महिला अधिवक्ता आई आगे, शुरू किया अनशन

कोटा (आरएनएस)। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कानून बनाने की मांग को लेकर जारी अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन में अब महिला अधिवक्ता आगे आ गई है। कोटा में महिला अधिवक्ताओं ने आज से अदालत के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठी महिला अधिवक्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिसके बाद अनशन शुरू हो गया। महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा अधिकार है। जिसका हम हासिल करके ही रहेंगें। अधिवक्ताओं के साथ कहीं भी मारपीट हो जाती है लेकिन हमारी सुरक्षा करने वाला कोई

छत्तीसगढ़ में संभावनाएं एवं क्षमताएं विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 14 एवं 15 को

❒ राज्य में मसाला एवं सगंध फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विचार मंथन किया जाएगा

रायपुर (आरएनएस)। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, सरकंडा, बिलासपुर में 14 एवं 15 मार्च, 2023 को ''मसाला एवं सगंध फसलें - छत्तीसगढ़ में संभावनाएं एवं क्षमताएं'' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा सुपारी एवं मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट, केरल, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), रायपुर, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी निदेशालय, रायपुर तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर के सहयोग से किया जा रहा है। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कल प्रात: 11 बजे होगा जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा हांगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. मोहम्मद असलम, सलाहकार नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन - बी.पी. एम.सी. से ऑफ डी.बी.टी., नई दिल्ली, डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रायपुर, आनंद मिश्रा, प्रबंध मण्डल सदस्य, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, एवं बाबूलाल मीणा, उपनिदेशक सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट केरल उपस्थित रहेंगे। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे तथा छत्तीसगढ़ में मसाला एवं सगंध फसलों के उत्पादन की संभावनाओं एवं क्षमताओं के संबंध में विचार-विमर्श करेंगे। इस अवसर पर मसाला एवं सगंध फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन तकनीकों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।

कार्यक्रम के आयोजन सचिव एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. आर.के. एस. तिवारी ने बताया कि इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में मसाला एवं सुगंधित फसलों की खेती का प्रचार एवं प्रसार कर प्रगतिशील कृषकों को इसकी खेती की तकनीकी जानकारी से अवगत कराना है एवं भविष्य में राज्य शासन के सहयोग से मसाला फसलों के प्रसंस्करण हेतु पहल कर कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान हल्दी, अदरक, काली मिर्च, हरी मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, धनियां, मेथी, लहसुन, सौंफ, जीरा आदि मसाला फसलों तथा लेमन ग्रास, सेट्रोनेला, पचौली, मोनार्डा, तुलसी, खस, गेंदा, गुलाब, चमेली, चंदन आदि सगंध एवं औषधीय फसलों के छत्तीसगढ़ में उत्पादन की संभावनाओं एवं क्षमताओं के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सगंध एवं औषधीय फसलों की खेती की जा रही है, जिनसे 60 हजार मेट्रिक टन से अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। राज्य की प्रमुख मसाला फसलें अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया एवं मेथी हैं। प्रदेश में लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मसाला फसलों की खेती की जा रही है, जिनसे लगभग 7 लाख मेट्रिक टन उत्पादन मिल रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंर्गत संचालित विभिन्न केन्द्रों द्वारा मसाला एवं सगंध फसलां पर अनुसंधान किया जा रहा है। यहां इन फसलां पर दो अखिल भारतीय समन्वित विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत रायपुर केन्द्र में वर्ष 2010 से अखिल भारतीय औषधीय एवं सगंध फसलें समन्वित विकास परियोजना तथा रायगढ़ केन्द्र में वर्ष 1995-96 ये अखिल भारतीय मसाला फसलें समन्वित विकास परियोजना संचालित की जा रही है। इन दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत इन फसलों की अनेक नवीन उन्नत किस्में तथा उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है।

दिल्ली से दोहा जा रही इंडिगो फ्लाइट में यात्री की मौत, कराची में हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली से दोहा जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के कारण पाकिस्तान के कराची हवाईअड्डे की ओर डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि फ्लाइट दिल्ली से दोहा जा रही थी। इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6श्व-1736 में एक पैसेंजर की तबियत बिगड़ गई। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और मेडिकल इमरजेंसी के बारे में जानकारी दी। फ्लाइट के लैंड होने से पहले यात्री की कथित तौर पर मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि व्यक्ति की पहचान नाइजीरियाई के रूप में हुई है।

इस संबंध में एयरलाइन के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि दिल्ली से दोहा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कराची डायवर्ट कर दिया गया। दुर्भाग्य से, आगमन पर यात्री को हवाई अड्डे की मेडिकल टीम द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। हम इस खबर से बहुत दुखी हैं और हमारी प्रार्थनाएं और सवेंदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। हम वर्तमान में संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में फ्लाइट के अन्य यात्रियों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

वहीं इससे पहले 20 फरवरी को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लंदन डायवर्ट कर दिया गया था। जनवरी के मध्य में इसी तरह की एक घटना में, मदुरै-दिल्ली इंडिगो की एक फ्लाइट को एक पैसेजंर के साथ एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन के बाद इंदौर हवाई अड्डे पर भेजा गया था।

सीएआईटी का केंद्र सरकार को आग्रह : भारत में चीनी सीसीटीवी पर लगाएं प्रतिबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हो सकता है खतरा

तिरुवनंतपुरम (आरएनएस)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने केंद्र सरकार से देश में चीनी सीसीटीवी कैमरों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है और आरोप लगाया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। सीएआईटी के राष्ट्रीय सचिव एसएस मनोज ने रविवार को यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि डेटा संरक्षण कानून या निगरानी तंत्र के अभाव में ऐसे सीसीटीवी उपकरण किसी के डाटा की जानकारी दुनिया में कहीं भी आसानी से भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह गौर करने योग्य है कि सीसीटीवी नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) कैमरों का उपयोग होता है और सीसीटीवी के इंटरनेट द्वारा संचालित डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डीवीआर) को कभी भी अपने मन मुताबिक किसी भी स्तर पर परिवर्तित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इसलिए केंद्र सरकार को चीनी सीसीटीवी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसा कि इससे पहले चीनी एप पर प्रतिबंध लगाया गया था।

उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि चीन सरकार द्वारा नियंत्रित या आंशिक स्वामित्व वाले चीनी सीसीटीवी कैमरों का भारत में बहुत बड़े स्तर में उपयोग किया जा रहा है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी सीसीटीवी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सीएआईटी के राष्ट्रीय सचिव यह भी कहा कि सीएआईटी ने अपनी एक राष्ट्रीय बैठक में इस विषय पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें चीनी सीसीटीवी के उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है और भारत में इसपर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने केंद्र सरकार से देश में सीसीटीवी के निर्माण को प्रोत्साहित करने और डेटा सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण अधिनियम लाने का आग्रह किया।

मनोज ने कहा कि बैठक में देश में छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति बनाने की भी मांग की गई।

एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री ने किया हंगामा, सीट से बांधकर देना पड़ा एंटी-एंजाइटी इंजेक्शन, मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया सुरक्षा अधिकारियों के हवाले

मुंबई (आरएनएस)। इन दिनों फ्लाइट में उपद्रव की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। लंदन से मुंबई आने वाली एयर इंडिया का फ्लाइट में भी कुछ ऐसा वाकया हुआ कि उपद्रव कर रहे यात्री को सीट से बांधकर एंटी-एंजाइटी इंजेक्शन देना पड़ गया। रत्नाकर द्विवेदी नाम के इंडो-अमेरिकन यात्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर उसे सुरक्षा अधिकारियों के हवाले किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी और सोमवार को दोबारा अदालत में पेश होने के लिए कहा था।

द्विवेदी ने पुलिस को बगताया कि वह सिंगिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए मुंबई आया है। पुलिस ने उससे गाना गाने को कहा तो वह कहना लगा कि वह रैपर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। सीनियर केबिन क्रू शिल्पा मिश्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि एयर इंडिया ्रढ्ढ-130 के विमान ने लंदन से रात में 10 बजे उड़ान भरी थी। यात्री सीट नंबर 26 बी पर बैठा था। थोड़ी ही देर में वह वॉशरूम गया। इसके बाद फायर अलार्म बजने लगा। जब वॉशरूम का दरवाजा खोला गया तो पता चला कि द्विवेदी लाइटर और सिगरेट लेकर खड़ा था।

क्रू ने जब उससे स्मोकिंग बंद करने को कहा तो वह गाली देने लगा। पायलट कैप्टन संजय यादव ने कहा कि क्रू ने उसे कई बार चेतावनी दी लेकिन वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर एयरक्राफ्ट के इमर्जेंसी एग्जिट के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक यात्री का लात मार दी और गालियां बकने लगा। इसके बाद क्रू जबरदस्ती उसे उसकी सीट पर ले गए।

एक क्रू मेंबर ने बताया, 'वहां मौजूद एक डॉक्टर ने उसके बारे में पता किया। द्विवेदी ने डॉक्टर को बताया कि वह दवाओं पर चल रहा है। हालांकि जब उसका बैग चेक किया गया तो कोई दवाई नहीं मिली बल्कि ई-सिगरेट मिली। इसके बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। जब फिर भी वह शांत नहीं हुआ तो उसके हाथ पैर सीट में बांध दिए गए।'

द्विवेदी ने कहा कि उसके हाथ से ई-सिगरेट छीन ली गई थी इसीलिए वह आपे से बाहर हो गया था। पुलिस को संदेह हैकि वह निकोटीन अडिक्ट हो सकता है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई पहुंचने पर आरोपी यात्री को सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया था। बता दें कि हाल ही में 24 साल की एक महिला को कोलकाता से बेंगलुरु की फ्लाइट में स्मोकिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

पेपरलीक में सारण को पेपर देने वाले शेरसिंह का साथी गिरफ्तार

उदयपुर (आरएनएस)। राजस्थान पुलिस सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भूपेन्द्र सारण को 40 लाख रुपए में पेपर बेचने वाले अनिल उर्फ शेरसिंह मीणा की तलाश कर रही है। इसी दौरान उदयपुर पुलिस ने रविवार रात को एक आरोपी रामगोपाल को गिरफ्तार किया है, जो अनिल उर्फ शेरसिंह का साथी है।

अब पुलिस रामगोपल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और पेपर लीक के अन्य आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास करेगी।

भूपेन्द्र को वापस प्रोडक्शन वारंट की तैयारी- इधर, अन्य मामले में जांच कर रही पुलिस पेपर लीक के मास्टर माइंड भूपेंद्र सारण को फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने की तैयारी में है। इससे पहले 9 मार्च को कोर्ट ने सारण को जेल भेजा था। अब पुलिस उससे पूछताछ और राज उगलवाने के लिए वापस प्रोडक्शन वारंट की तैयारी में है।

शिक्षक शेरसिंह की पुलिस को तलाश- वहीं पुलिस पेपर लीक के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण को 40 लाख रुपए में पेपर बेचने वाले शिक्षक अनिलकुमार उर्फ शेरसिंह मीणा की तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दस से अधिक टीमें गठित कर उसके संभावित ठिकानों पर भेजी है। शेरसिंह के पकड़े जाने के बाद ही उसे पेपर महैया करवाने वाले का खुलासा हो पाएगा।

एनएच-48 पर रंगपुरी, रजोकरी 90 दिनों तक रहेंगे बंद

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को निर्माण कार्य के कारण 90 दिनों की अवधि के लिए रंगपुरी और रजोकरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (दिल्ली-जयपुर राजमार्ग) के कैरिजवे को बंद करने की सूचना दी। यातायात विभाग के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भारत माला परियोजना के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जो एनएच-48 (दिल्ली-जयपुर राजमार्ग) पर शिव मूर्ति के पास द्वारका लिंक रोड से शुरू होगा।

इस परियोजना के तहत एनएच-48 पर दो अंडरपास और एक एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण किया जाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए रंगपुरी और रजोकरी के बीच एनएच-48 पर दोनों कैरिजवे को बंद कर दिया जाएगा।

एडवाइजरी में कहा गया, शिव मूर्ति चौराहे के पास यातायात को मुख्य राजमार्ग से नवनिर्मित स्लिप रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा। कैरिजवे के बंद होने से सडक़ पर यातायात की मात्रा बढ़ सकती है और आम जनता को असुविधा हो सकती है।

जो लोग हवाई अड्डे/आईएसबीटी/रेलवे स्टेशनों की ओर जा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय के साथ अपनी यात्रा की सावधानी से योजना बनाएं।

इसमें कहा गया है, गुरुग्राम/जयपुर की ओर जाने वाले या आने वाले यात्री महरौली-गुरुग्राम रोड का उपयोग कर सकते हैं। द्वारका, कापसहेड़ा और नजफगढ़ की ओर जाने वाले यात्री गुरुग्राम रोड फ्लाईओवर से पालम रोड के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं।

गुरुग्राम, कापसहेड़ा और द्वारका से धौला कुआं, वसंत विहार की ओर आने वाले यात्री द्वारका फ्लाईओवर रोड नंबर 201 ले सकते हैं।

एडवाइजरी में कहा गया है, यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से अपनी यात्रा की योजना बनाकर सहयोग करें। हम आपकी समझ और उपर्युक्त अवधि के दौरान यातायात की भीड़ को कम करने में आपके सहयोग की सराहना करते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से 3 महीने के अंदर हटाए मस्जिद, सुप्रीमकोर्ट का सख्त आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर से एक मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने मस्जिद हटाए जाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि संरचना एक खत्म हो चुके पट्टे (लीज) पर ली गई संपत्ति पर है और वे अधिकार के रूप में इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं, वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को बेटी की शादी के लिए मिली एक हफ्ते की जमानत

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने हालांकि, याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास में किसी जमीन के आवंटन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रतिवेदन करने की अनुमति दी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को बताया कि भूमि एक पट्टे की संपत्ति थी जिसे समाप्त कर दिया गया था। वे अधिकार के तौर पर इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन निर्माण को गिराने के लिए तीन महीने का समय देते हैं और यदि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो उच्च न्यायालय सहित अधिकारियों के लिए उन्हें हटाने या गिराने का विकल्प खुला रहेगा।

मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद 1950 के दशक से है और इसे यूं ही हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, 2017 में सरकार बदली और सब कुछ बदल गया। नई सरकार बनने के 10 दिन बाद एक जनहित याचिका दायर की जाती है। जब तक वे हमें जमीन उपलब्ध कराते हैं, तब तक हमें वैकल्पिक स्थान पर जाने में कोई समस्या नहीं है। उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है।

उन्होंने कहा, दो बार नवीनीकरण के आवेदन आए और कोई सुगबुगाहट तक नहीं हुई कि मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग जनता के लिए किया गया था। उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि यह आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि वे नमाज पढ़ रहे हैं, इसे मस्जिद नहीं बना देगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के बरामदे में सुविधा के लिए अगर नमाज की अनुमति दी जाए तो यह मस्जिद नहीं बन जाएगा।